संख्या-13/2026/480/सत्रह-म-2026-17-1099/55/

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
मत्स्य विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ: दिनांक 13 मार्च, 2026

विषय: उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष के क्रियान्वयन के सम्बंध में निर्गत मार्ग- निर्देश में संशोधन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 84/नि0शा0/म0पा0क0को0/ 2025-26 दिनांक 02.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण' कोष के क्रियान्ययन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या 6/2023/270/सत्रह-म-2023-17-1099/55/2021, दिनांक 06.03.2023 के प्रस्तर 02 (21) (य) में अन्तर्राज्यीय भ्रमण, दक्षता विकास, प्रदर्शनी और सेमिनारों के लिए मत्स्य पालकों/ मछुआरों के प्रशिक्षण / भ्रमण कार्यक्रम क्रियान्वयन को मत्स्य पालकों के लिए और अधिक उपयोगी बनाए जाने हेतु शासनादेश मे संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण' कोष के क्रियान्ययन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या 6/2023/270/सत्रह-म-2023-17-1099/55/2021, दिनांक 06.03.2023 के प्रस्तर 02 (21) (य) में युक्तियुक्त संशोधन करते हुए उ0प्र0 मत्स्य पालन कल्याण कोष के क्रियान्वयन हेतु निम्नवत व्यवस्था निर्धारित किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-

शासनादेश के प्रस्तर संख्या	पूर्व व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
प्रस्तर 02 (21) (य)	अन्तर्राज्यीय भ्रमण,दक्षता विकास, प्रदर्शनी और सेमिनारों के लिए मत्स्य पालकों/ मछुआरों के प्रशिक्षण/ भ्रमण पर कुल कोष का दो प्रतिशत तक	**राज्यान्तर्गत**/अन्तर्राज्यीय भ्रमण, दक्षता विकास, प्रदर्शनी और सेमिनारों के लिए मत्स्य पालकों/ मछुआरों के प्रशिक्षण/ भ्रमण पर कुल कोष का दो प्रतिशत तक व्यय:- **1- प्रशिक्षणार्थियों का चयन:-**

	व्यय:- 1- प्रशिक्षणार्थियों का चयनः- प्रशिक्षण के इच्छुक आवेदक द्वारा आनलाइन आवेदन जनपदीय मत्स्य अधिकारी के कार्यालय में किया जायेगा तथा जनपदीय मत्स्य अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण हेतु प्रस्ताव मत्स्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश को प्रेषित किया जायेगा। 2-प्रशिक्षण के प्रकारः- प्रशिक्षण राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के मानक के अनुसार प्रकार के होंगे-	प्रशिक्षण के इच्छुक आवेदक द्वारा आनलाइन आवेदन जनपदीय मत्स्य अधिकारी के कार्यालय में किया जायेगा तथा जनपदीय मत्स्य अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण हेतु प्रस्ताव मत्स्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश को प्रेषित किया जायेगा। **2-प्रशिक्षण के प्रकारः-** प्रशिक्षण राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के **मानक** एवं प्रकार के अनुसार **समय समय पर संशोधित मानक** एवं प्रकार के अनुसार **होंगे। उक्त के अतिरिक्त भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मात्स्यकीय संस्थानों में प्रशिक्षण कराए जाने पर संस्थान द्वारा प्रशिक्षण हेतु समय समय निर्धारित मानक एवं धनराशि के अनुसार प्रशिक्षण कराए जाएंगे।**

3- शासनादेश संख्या 6/2023/270/सत्रह-म-2023-17-1099/55/2021, दिनांक 06.03.2023 द्वारा निर्गत मार्ग-निर्देश में संशोधन के सम्बंध में उक्त नियमावली में अंकित उददेश्य/शर्तो/मानकों के निर्धारण/ संचालन आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्राविधानित बजट की सीमान्तर्गत भौतिक लक्ष्यों का निर्णारण करते हुए योजना के संचालन पर आने वाला व्यय भार बजट प्राविधान की सीमान्तर्गत् रहेगा तथा घटकवार देय धनराशि का सत्यापन घटकों से सम्बंधित विभाग से कराया जायेगा।

4- यह भी सुनिश्चित किया जाय कि योजना के संचालन में द्विरावृत्ति न हो।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

Digitally signed by
MUKESH KUMAR MESHRAM
Date: 12-03-2026 18:48:04

(मुकेश कुमार मेश्राम)
अपर मुख्य सचिव,

संख्या-13/2026/480 / सत्रह-म-2026 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- सचिव, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

2- अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, नियोजन/सिंचाई/ ग्राम्य विकास/ वित्त/ कृषि/ पंचायतीराज/ संस्थागत वित्त/ कार्मिक/ खाद्य प्रसंस्करण / राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

4- मुख्य कार्यपालक, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद तेलंगाना।

5- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उ0प्र0।

6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ।

7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 लखनऊ।

8- निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री, प्रयागराज को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

9- समन्वयक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति बैंक आफ बडौदा उ0प्र0 लखनऊ।

10- समस्त उप निदेशक मत्स्य, उ0प्र0 ।

11- समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0।

12- समस्त मुख्य विकास अधिकारी/ अधिशासी निदेशक, मत्स्य पालक विकास अभिकरण उ0प्र0।

13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम चरन राम)

अनु सचिव।